न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या-103/2016

छीतरमल पुत्र स्व0 बाबूराम जाति जाट निवासी ग्राम गोवटी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1- जिला कलेक्टर सीकर ।

2- तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर ।

---रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक01-7-2016 द्वारा सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर ।

सत्यमेव जयते

---0---

उपस्थिति-

1-श्री अमरसिंह तूण्डा एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री पोकरमल एडवोकेट- राजकीय अभिभाषक

Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक- 22.6.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलान्ट ने योग्य अदालत मातहत में दावा बाबत रेवेन्यू रेकार्ड दुरूस्ती जमाबन्दी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गोवटी में आराजी पुराना खसरा नं0 27/2 रकबा 8 बीघा वर्तमान खसरा नं0 27 रकबा 1.76 हैक्टर जबकि वादी 2.00 हैक्टर पर काबिज काश्तकार है ।उक्त आराजी पहले राज्य सरकार के नाम से अंकित थी। जिसको वादी के दादा चन्द्राराम पुत्र गोपीराम को सब डिविजन आफिस सीकर के आदेश सं0-4532 दिनांक 1-11-1972 द्वारा आंवटन कर गैर खातेदारी का नामान्तरकरण सं0-124 दिनांक 26-12-1972 को स्वीकार किया गया। तथा वादी के दादा चन्द्राराम का लगातार कब्जा काश्त होने पर

से खातेदारी का स्वीकार किया गया ।तब से आज तक वादी उक्त आराजी पर काबिज काश्तकार चले आ रहे है ।किन्तु दिनांक 25-4-2011 को पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल लेने पर मालूम चला कि यह आराजी वादी एवं वादी के पूर्वजों के नाम न होकर राज्य सरकार के नाम सिवायचक नाकाबिले काश्त दर्ज है ।यह आराजी राज्य सरकार के नाम कब व कैसे हुई । वादी को जानकारी नहीं रही । जानकारी होने पर यह दावा पेश किया । जिसे योग्य अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादी का दावा साबित नहीं होने पर खारिज कर दिया जिसके विरूद्व यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत हैं ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली हैं । अदालत मातहत ने प्रतिवादी संख्या-1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जबाब दावे पर ही विश्वास कर अपना निर्णय पारित किया है जो कानून के विपरित है। अदालत मातहत ने वादी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पर कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है ।उक्त विवादित आराजी सन् 1972 में अपीलांट के दादा चन्द्राराम के नाम अलाट होने के बाद गैर खातेदारी में दर्ज हुई तथा लगातार कब्जा काश्त रहने से अपीलान्ट के दादा के नामा नामान्तरकरण सं0 231 दिनांक 29-10-1977 को उक्त आराजी की खातेदारी दी गई है । इस प्रकार अदालत मातहत ने राजस्व रेकार्ड पर कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है । अदालत मातहत ने अपीलान्ट द्वारा अन्य साक्ष्यों पर भी कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है । रेस्पोडेन्ट संख्या-2 ने उक्त आराजी को गैर मुमकीन नदी नाला होना बताया है जबकि मौका रिपोर्ट में उक्त आराजी की काश्त होना बताया है ।इसके जबाब व के समर्थन मे रेस्पो0 सं0-2 ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह आराजी नदी नाला की रही हो । अदालत मातहत ने अपीलान्ट के द्वारा पेश दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पर कोई विश्वास न कर अपना निर्णय दिया है ।अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर अपीलान्ट का दावा डिक्री किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी अपीलान्ट के दादा चन्द्राराम को दिनांक 1-11-1972 को आंवटन किया जिसका आवंटन के बाद नामान्तर--करण सं0-124 दिनांक 26-12-1972स्वीकार किया जाकर गैरखातेदारी दर्ज की है इसके बाद लगातार कब्जा काश्त रहने से गैरखातेदारी से नामान्तरकरण सं0-231 से खातेदारी दर्ज की है ।इसके बाद राजस्व कर्मचारियों ने इस आराजी को बिना किसी आधार के सरकारी भूमि दर्ज कर दिया जिसका उसे कोई हक अधिकार नहीं । अदालत मातहत ने राजस्व रेकार्ड का बिना अवलोकन किये केवल जबाब दावा को ही सही मानकर आदेश पारित किया है जबकि रेस्पो0 सं0-2 ने मौका रिपोर्ट में उक्त आराजी पर अपीलान्ट की काश्त बताई है । अतः अदालत मातहत ने इन तथ्यो पर कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं एवं डिक्री निरस्त कर दावा डिक्री किया जावे ।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस में अदालत मातहत का आदेश उचित एवं विधिक बताते हुये कथन किया कि विवादित आराजी जमाबन्दी सं0 2065 से 2068 में काश्तकार के कालम में नदियां तथा नालेंचारागाह हेतु दर्ज है । यह आराजीकिसी को भी आंवटित नहीं की जा सकती । अदालत मातहत ने इस आराजी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-16 से प्रतिबन्धित बताई है ।तथा वादी का दावा साबित नहीं होने से खारिज किया है ।अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है।अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रदर्श-1 विलान क्षेत्रफल में गत ख0नं0 27/2 रकबा 8 बीघा जिसका हाल खसरा नं0 27 रकबा 1.76 हैक्टर बने हैं ।प्रदर्श-2 जमाबन्दी सं0-2028 से 2031 मे ख0नं0 27 रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा राजकीय भूमि किस्म बारानी द्वितीय दर्ज है । जिस पर नामान्तरकरण सं0-124 के अनुसार चन्द्रा पुत्र गोपी के नाम 8 बीघा दर्ज की है । इसी प्रकार अन्य अलोटियो का भी नाम दर्ज है ।प्रदर्श-3 खसरा परिवर्तन मे ख0नं0 27 रकबा 1.76 हैक्टर पर काश्तकार के कालम मे छीतरमल पुत्र बल्लुराम अपीलान्ट का नाम दर्ज है तथा भूमि की किस्म नदिया तथा नाले धारागाह हेतु गै0मु0 टीबा दर्ज है ।प्रदर्श-4 जमाबन्दी सं0-2051 में ख0नं0 27 सिवायचक नाकाबिल काश्त गै0मु0 टीबा दर्ज है ।प्रदर्श-5 खसरा गिरदावरी सं0-2028 एवं 2031 में काश्त चन्द्रा जाट की दर्ज है ।प्रदर्श-7 जमाबन्दी सं0-2065 से 2068 में विवादित आराजी का खाता नदियों तथा नाले धारागाह हेतु दर्ज है जिसमें किस्म टीबा दर्ज है । फर्द मौका कमिश्नर दिनांक 31-10-2014 में विवादित आराजी पर काश्त छीतरमल पुत्र बल्लुराम की बताई है । पत्रावली की अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी चन्द्राराम पुत्र गोपीराम को आंवटित की जिसके आंवटन का नामान्तरकरण सं0-124 तस्दीक किया गया । यह नामान्तरकरण दिनांक 26-12-1972 को तस्दीक किया गया। इस आराजी पर लगातार कब्जा काश्त रहने से गैर खातेदारी से खातेदारी नामान्तरकरण सं0-231 दिनांक 29-10-1977 को तस्दीक किया जाकर चन्द्राराम को खातेदार दर्ज किया है । चन्द्राराम का कब्जा काश्त खसरा गिरदावरी सं0-2028 से 2031 पर भी दर्ज है तथा मौका रिपोर्ट दिनांक 31-10-2014 में भी विवादित आराजी पर कब्जा काश्त अपीलान्ट छीतर का बताया है ।अर्थात राजस्व रेकार्ड में अपीलान्ट के दादा चन्द्राराम के विवादित आराजी आंवटन के बाद जरिये नामान्तरकरण से जमाबन्दी में दर्ज हुई है ।इसके बाद यह आराजी प्रदर्श-2 व 4 में राजकीय कैसे दर्ज हुई कहीं स्पष्ट नहीं किया तथा जिस वक्त इस आराजी का आंवटन

नाले, टीबा दर्ज करने का कोई कारण दर्ज नहीं किया गया और जब एक बार विवादित आराजीचन्द्राराम को आंवटन की गई उसके नाम गैरखातेदारी का नामान्तरकरण दर्ज किया तथा गैर खातेदारी के बाद खातेदारी दर्ज कर नामा0 सं0-231 से जमाबन्दी में अंकन किया है । इन तथ्यों पर अदालत मातहत ने कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है । जब आंवटन के समय यह आराजी बारानी द्वितीय थी तो सम्वत 2065 से 2068 में नदी नाले गै0मु0 टीबा कैसे दर्ज हुई । इन सभी तथ्यों पर गौर करते हुये पुनः निर्णय हेतु अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर(प्रथम) सीकर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01-7-2016 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत क को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह नामान्तरकरण सं0-124 व 231 से खातेदारी दर्ज होने के बाद यह आराजी राजकीय कैसे दर्ज हुई तथा आराजी की किस्म बारानी द्वितीय से नदिया नाले व टीबा कैसे हुया इन तथ्यों पर पुनः साक्ष्य सबूत लेकर अपना निर्णय पुनः पारित करें ।

पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 10-7-2011 को उपस्थित होवें ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 22.6.2018 को सुनाया गया ।

22/6/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर